न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 286/2008

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

वादी / अपीलार्थी

बनाम

1. फकीर मोहम्मद पुत्र समसुद्दीन
2. सलीम खां पुत्र समसुद्दीन
3. फातमा बेवा समसुद्दीन
   समस्त जाति फकीर निवासी दिल्ली दरवाजा कोटपूतली जिला जयपुर
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र रामौतार अहिर निवासी दताल (नारनौल) हरियाणा
5. मुकेश पुत्र शिव कुमार अहिर निवासी काली की ढाणी दताल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)
6. सरिता पत्नी विजयसिंह यादव
7. मुकेश देवी पत्नी परमानन्द यादव निवासी ग्राम दुण्डादिया पोस्ट पीपली तहसील बहरोड जिला अलवर
8. रमेश मित्तल पुत्र बाबूलाल मित्तल निवासी पीथावाली कोटपूतली
9. हरिश कुमार पुत्र ओमप्रकाश महाजन नई सराय नारनौल (हरि.)
10. इन्द्राज पुत्र प्रभूदयाल सैनी निवासी रूपचन्द का बास वार्ड नं0 4 कोटपूतली
11. सुनिल कुमार जांगिड पुत्र रामेश्वर जांगिड निवासी फतेहपुरा कला कोटपूतली
12. विरेन्द्र कुमार पुत्र विरधन यादव निवासी बूढवाल तहसील बहरोड जिला अलवर
13. मामचन्द पुत्र हरचन्द अहिर निवासी लाडपुर तहसील बानसूर जिला अलवर
14. सुबेदार महिपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी शाहंजहापुर तहसील बहरोड जिला अलवर
15. सुशीला पत्नी उमरावसिंह यादव निवासी गोरधनपुरा तहसील कोटपूतली

रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 31.3.2021

प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा अपील निम्नभांति बिन्दुवार पेश की हैं :–

1. यह है कि जमाबंदी सम्वत 2061 ग्राम बासडी खसरा नम्बर 523 खसरा नम्बर 1272 / 0.28 व 1271 / 0.01 में खातेदार हुसेन शाह, बन्शा शाह, अललाउद्दीन शाह कौम मुसलमान (फकीर) दर्ज रिकॉर्ड था। पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खाते में हेरा–फेरी करके नामा.सं. 733, 1136, 1159 के जमाबंदी में फर्जी नोट लगाकर पूर्णतया फर्जकारी की गयी। उक्त नामान्तरकरण ख.नं. 1271, 1272 से सम्बन्धित नहीं है। इन नामान्तरकरणों में फर्जी नोट जमाबंदी में होने से इनकी आगे के किये गये नामा.सं. 1273, 1810, 1803, 1825, 1562, 1688 व 1713 थे सभी नामा. निरस्तनीय है।
2. यह है कि पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी में फर्जी नोट नामा.सं. 733 का अंकित कर ख.नं. 1271 व 1272 सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में स्वीकार होने का नोट लगाया हुआ है, जबकि वर्णित नामा.सं. ख.नं. 1278 से सम्बन्धित है, जिसका इससे पूर्व जमाबंदी खाता नम्बर 257 पर अमल भी हो चुका है। अतः नामा.सं. 733 नोट से इस खाते में किये गये सभी नामा. विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

3. यह है कि नामा.सं. 1138 का जमाबंदी में फर्जी नोट प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में लगाया हुआ है, जबकि नामा.सं. 1138 ख.नं. 1019 से सम्बन्धित है। खसरा नम्बर 1271 व 1272 से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जमाबंदी में लगाया नोट निरस्तनीय है।

4. यह है कि नामा.सं. 1562 जो नामा.सं. 1138 निरस्तनीय से सम्बन्धित है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के द्वारा भू-खण्ड बेचान का नामा.सं. 1562 प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के पक्ष में दर्ज हुआ, लेकिन नामा.सं. 1138 का नोट फर्जी है। यह नामा. ख.नं. 1019 से सम्बन्धित है। खसरा नम्बर 1271 व 1272 से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः नामा.सं. 1562 निरस्तनीय है।

5. यह है कि नामा.सं. 1803 जो निरस्तनीय नामा.सं. 1562 से सम्बन्धित है। वर्णित नामा.सं. 1562 के क्रेताओं द्वारा विक्रय से उक्त भू-खण्ड प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में नामा.सं. 1803 दर्ज हुआ, लेकिन ऊपर वर्ज क्र.सं. 4 पर नामा.सं. 1562 निरस्तनीय होने से नामा.सं. 1803 विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है।

6. यह है कि नामा.सं. 1159 का फर्जी नोट जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में दर्ज है, परन्तु उक्त नामा. अन्य भूमि से सम्बन्धित है तथा खारिजशुदा है। खसरा नम्बर 1271 व 1272 से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः विधि विरूद्व होने से उक्त गलत नोट निरस्तनीय है।

7. यह है कि नामा.सं. 1273 प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में खसरा नम्बर 1272 हिस्सा 276/2800 भू-खण्ड का स्वीकृत हुआ, लेकिन जमाबंदी में फर्जी नोट नामा.सं. 733 से आये खातेदार द्वारा बेचान हुआ है। नामा.सं. 733 राजस्व रिकॉर्ड में प्रभावी नहीं होने से वर्णित नामा.सं. 1273 विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है।

8. यह है कि नामा.सं. 1688 प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में ख.नं. 1272 हिस्सा 269/2800 स्वीकृत हुआ है, लेकिन जमाबंदी में फर्जी नोट नामा.सं. 733 से आये खातेदारान् द्वारा बेचान हुआ है। वर्णित नामा.सं. 733 राजस्व रिकॉर्ड में प्रभावी नहीं होने से नामा.सं. 1688 विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है।

9. यह है कि डिक्री आदेश न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली से नामा.सं. 1733 दर्ज हुआ है। वर्णित नामा. में खसरा नम्बर 1271 व 1272 का सम्पूर्ण रकबा 0.29 है0 प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पक्ष में स्वीकार किया है, जबकि इससे पूर्व जमाबंदी में फर्जी नोट नामा.सं. 733 में वर्णित खसरा नम्बरान् में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा भूमि बेचान की जा चुकी है। ए.डी.एम न्यायालय के यहां डिक्री की पत्रावली नहीं होना बताया जाने पर उक्त नामा.सं. 1713 विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है।

10. यह है कि नामा.सं. 1810 जो नामा.सं. 1713 निरस्तनीय से सम्बन्धित है। प्रतिवादी 01 लगायत 03 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में हिस्सा 208/2800 का नामा. दर्ज हुआ है। मूल नामा.सं. 1713 गलत व नामा. सं. 733 का फर्जी नोट होने से नामा.सं. 1810 विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है।

11. यह है कि नामा.सं. 1825 जो नामा.सं. 1713 निरस्तनीय से सम्बन्धित है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में हिस्सा 269/2800 भू-खण्ड बेचान का नामा. दर्ज हुआ है। नामा.सं. 1713 गलत व नामा.सं. 733 का फर्जी नोट होने से वर्णित नामा.सं. 1825 विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है।

12. यह है कि वर्णित नामान्तरकरणों का जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा फर्जीकारी गलत नोट लगाने के कारण व डिक्री से नामा.सं. 1713 दर्ज करने के कारण अन्य नामा. दर्ज हुये है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल होना संभव नहीं है।

13. यह है कि उक्त तथ्यों की जानकारी प्रार्थी को करीबन 10 दिवस पूर्व हुयी। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है।

14. यह है कि विवादित अचल सम्पत्ति श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है। इसलिए श्रीमान् को सुनने एवं तैय करने का अधिकार है। अतः अपील मंजूर कर निवेदन है कि उक्त वर्णित नामान्तरकरण निरस्त करने की कृपा करें।

15. प्रार्थी तहसीलदार तहसील कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. लगायत 03 की ओर से श्री उमाकान्त भारद्वाज एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की

श्री हितेष यादव एडवोकेट तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की ओर से श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आये।

16. प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जवाब पेश हुआ तो संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने प्रस्तुत जवाब में वर्णित किया है कि प्रस्तुत अपील में तहसीलदार द्वारा नामा.सं. 1713 ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली के विरूद्व मुख्य रूप से पेश की है। उक्त नामा.सं. 1713 ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली फैसला व डिक्री मु.नं. 297/06 जम्मन बनाम फकीर मौहम्मद फैसला द्वारा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के क्रम में दर्ज किया है। तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा मु.नं. 297/06 में पारित निर्णय व डिक्री को कभी भी चुनौती नहीं दी ना ही डिक्री के विरूद्व अपील की है एव ना ही इसके विरुद्व कोई रेफरेन्स किया है, किन्तु मूल-भूत के सिद्वान्तों के विपरीत जाकर न्यायालय में डिक्री की अपील प्रस्तुत ना कर, डिक्री के मुताबिक दर्ज किये गये नामा. की अपील प्रस्तुत की है, जो कतई चलने योग्य नहीं है। अतः उक्त अपील को हर्जा-खर्चा खारिज करने के आदेश फरमावें।

17. बहस सुनी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट तहसीलदार कोटपूतली ने प्रस्तुत अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जमाबदी सम्वत 2061 ग्राम बासडी खाता नं. 523 खसरा नम्बर 1272/0.28 व 1271/0.01 में खातेदार हुसैन शाह, बन्सा शाह, अल्लाउद्दीन शाह कौम मुसलमान (फकीर) दर्ज रिकॉर्ड था। पटवारी हल्का द्वारा वर्णित खाते में हेरा-फेरी करके नामा.सं. 733, 1136, 1159 के जमाबंदी में फर्जी नोट लगाकर फर्जकारी की गयी। उक्त नामा. ख.नं. 1271, 1272 से सम्बन्धित नहीं है। इस प्रकार फर्जी नोट जमाबंदी में होने से आगे के नामा. 1273, 1810, 1803, 1825, 1562, 1688 व 1713 निरस्त किये जाने योग्य है। जमाबंदी में 2061-64 में नामा.सं. 733 का अंकन खसरा नम्बर 1271 व 1272 सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पक्ष में नोट लगा हुआ है, जबकि उक्त नामा. ख.नं. 1278 से सम्बन्धित है। जमाबंदी सम्वत 2061-64 में 1136 का फर्जी नोट प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पक्ष में लगा हुआ है, जबकि उक्त नामा.सं. 1136 ख.नं. 1019 से सम्बन्धित है। ख.नं. 1271, 1272 से कोई सम्बन्ध नहीं है। नामा.सं. 1562 प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के पक्ष में विक्रय-पत्र का दर्ज हुआ है जो नामा.सं. 1136 का फर्जी नोट से सम्बन्धित है। उक्त नामा. 1562 खसरा नम्बर 1019 से सम्बन्धित है। खसरा नम्बर 1271 व 1272 से कोई सम्बन्ध नहीं है। नामा.सं. 1803 जो नामा.सं. 1562 से सम्बन्धित है जो केताओं द्वारा विकय से प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में दर्ज हुआ है जो विधि विरूद्व दर्ज हुआ है। नामा.सं. 1159 फर्जी नोट से प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में दर्ज हुआ है जो अन्य भूमियों से सम्बन्धित है। ख.नं. 1271 व 1272 से कोई सम्बन्ध नहीं है जो फर्जी नोट निरस्तनीय है। नामा.सं. 1273 प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में ख.नं. 1272 हिस्सा 276/2800 भू-खण्ड का स्वीकृत हुआ है, लेकिन जमाबंदी में फर्जी नोट से नामा.सं. 733 से आये खातेदारान् द्वारा बेचान हुआ है, जो विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है। नामा.सं. 1688 प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में ख.नं. 1272 हिस्सा 269/2800 स्वीकृत हुआ है, लेकिन जमाबंदी में फर्जी नोट से नामा.सं. 733 में आये खातेदारान् द्वारा बेचान हुआ है जो नामा.सं. 733 प्रभावी नहीं है। नामा.सं. 1713 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के डिक्री आदेश से दर्ज हुआ है। उक्त वर्णित नामा. में ख.नं. 1271 व 1272 सम्पूर्ण रकबा 0.29 है0 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में स्वीकार हुआ है, जबकि इससे पूर्व जमाबंदी में फर्जी नोट से नामा.सं. 733 से वर्णित खसरा नम्बरान् में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा बेचान की जा चुकी है जो विधि विरूद्व है। नामा.सं. 1810 जो नामा.सं. 1713 निरस्तनीय से सम्बन्धित है जो प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में 208/2800 का नामा. दर्ज हुआ है जो मूल नामा. 1713 व 733 जो गलत एवं फर्जी नोट से दर्ज हुये है। इसलिए उक्त नामा. 1810 विधि विरूद्व है। नामा.सं. 1825 जो नामा. 1713 निरस्तनीय से सम्बन्धित है जो प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में दर्ज हुआ है जो 1713 नामा. गलत एवं नामा. सं. 733 जमाबंदी में पटवारी हल्का द्वारा फर्जकारी करके गलत नोट लगाने के कारण डिक्री से नामा. 1713 दर्ज करने के कारण अन्य नामा. दर्ज हुये हैं, जिनका राजस्व रिकॉर्ड में

अमल होना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को मंजूर फरमावें तथा उक्त नामा निरस्त फरमावें।

18. रेस्पोडेन्ट वकील श्री सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रस्तुत बहस के साथ एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त प्रकरण में विचाराधीन नामा. व आराजी बाबत मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष सिविल रिट पीटिशन संख्या 7865/2009 प्रस्तुत की जिस पर मान्य उच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिविल रिट पीटिशन स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को उपरोक्त आराजी बाबत मान्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30/3/93 ब उनवान ईशवर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के अनुशरण में प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश पारित किये है। मान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किये जाने के पश्चात् अपील में कोई कानूनी अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। उच्च न्यायालय के अनुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण तहसीलदार कोटपूतली द्वारा किया जाना नियत् है। इसलिए मान्य न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार कोटपूतली प्रकरण का निस्तारण करने हेतु आदेश फरमावें।

19. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली के खाता संख्या 523 में दर्ज खसरा नम्बर 1272/0.29 व 1271/0.01 कुल रकबा 0.29 है0 हुसैन शाह, बन्शा शाह, अल्लाउद्दीन शाह जाति मुसलमान (फकीर) दर्ज रिकॉर्ड थे। पटवारी हल्का फर्जी नोट लगाकर नामा.सं. 733, 1136 व 1159 फर्जकारी की जाने से 733, 1136, 1159 उक्त नामा. ख.नं. 1271 व 1272 से सम्बन्धित नहीं है। इसी अनुकम में आगे के किये गये नामा.सं. 1273, 1810, 1825, 1562, 1688 व 1713 यह सभी नामा. गलत एवं विधि विरूद्व हुये है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा बहस में जाहिर किया है कि प्रकरण में विचाराधीन नामा. व आराजी बाबत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा सिविल रिट पीटिशन संख्या 7865/2009 प्रस्तुत की गयी थी जिसे स्वीकार कर तहसीलदार कोटपूतली को ईशवर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश 30/9/93 के अनुसरण में प्रकरण को निस्तारण किये जाने के निर्देश पारित किये है। इसलिए अपील का कानूनन रूप से अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है। इसलिए प्रकरण में तहसीलदार कोटपूतली को निर्देश प्रदान करते हुए खारिज के आदेश फरमावें।

चूँकि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर के यहां सिविल रिट पीटिशन संख्या 7865/2009 ब उनवान ईशवर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान उक्त नामा. व आराजी बाबत रिट प्रस्तुत की गयी थी जिसमें दिनांक 30/3/93 के द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निर्देश प्राप्त है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में आदेश पारित किये जाने के पश्चात् न्यायालय हाजा में अपील को चलाये जाने का कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है वैसे भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण तहसीलदार कोटपूतली द्वारा किया जाना नियत् है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिये जाते है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर रिट पीटिशन संख्या 7865/2009 ब उनवानी ईशवर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित आदेश 30/3/1993 के अनुशरण में विधि सम्मवत निर्णय पारित करें

20. यह निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)